

इसे वेबसाईट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राज्यपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 392]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 अगस्त 2013—भाद्र 8, शक 1935

लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल दिनांक 30 अगस्त 2013

क्र. एफ. 10-6-2013-सत्रह-मेडि-2.—खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34) की धारा 70 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, राज्य के प्रत्येक जिले में, उक्त अधिनियम की धारा 68 के अधीन उस जिले में कार्यरत न्यायनिर्णयक अधिकारी के विनिश्चयों के विरुद्ध अपीलों की सुनवाई करने हेतु खाद्य सुरक्षा अपील अधिकरण स्थापित करती है।

No. F-10-6-2013-XVII-M-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 70 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the State Government hereby establishes the Food Safety Appellate Tribunal in every District of the State to hear appeals from the decisions of the Adjudicating Officer working in the District under Section 68 of the said Act.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरूण कुमार तोमर, उपसचिव.